Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.
Supply Appeal No.- 205/2022
Gurudeo Kumar singh .....Appellant.
Versus
The State of Bihar & Ors .....Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.04.2023	**आदेश** प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद जिला स्तरीय चयन समिति, किशनगंज द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–4511/2022 में पारित आदेश दिनांक–28.09.2022 के आलोक में दायर किया गया है। अपीलार्थी की उपस्थिति है। उत्तरवादी सं0–04, मो0 अजाजुल हक एवं उत्तरवादी सं0–05, मोहन सिंह को नोटिस किया गया, जिसे उनके द्वारा लेने से इन्कार किया गया। इस प्रकार दोनों उत्तरवादी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण अभिलेख पर एक पक्षीय सुनवाई की गई। अपीलार्थी को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ग्राम कालीभिट्ठा, ग्राम पंचायत–मोतिहारा, प्रखंड एवं जिला–किशनगंज का मूल निवासी है। इनकी योग्यता, मैट्रिक, इन्टर एवं स्नातक है। ये अपना स्नातक की परीक्षा Vinayaka Mission University/ Vinayaka Mission Research Foundation सलेम, तमिलनाडु जो दक्षिण भारत की पुरानी लब्ध प्रतिष्ठान एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त संस्थान है, से वर्ष 2014 में पूर्ण की है। ये Diploma in Computer Skill योग्यताधारी है एवं अति पिछड़ा वर्ग से आते है। अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बिहार लक्ष्यित सार्वजिनक जन वितरण प्रणाली अंतर्गत पंचायत मोतिहारा तालुका जिला किशनगंज के लिए अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन सं0–01/2019–20 दिनांक–13.09.19 को प्रकाशित किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक–04.10.2019 को अपना आवेदन सभी अनुलग्नकों के साथ जमा किया गया। मोतिहारा तालुका ग्राम पंचायत अंतर्गत अनुज्ञप्ति हेतु कुल 04 पद हेतु रिक्ति विज्ञापित किये गये, जिसमें रोस्टर के अनुसार दो पर अति पिछड़ा (ई0बी0सी0) वर्ग, 01 पद पिछड़ा वर्ग (बी0सी0) की महिला हेतु एवं 01 पद सामान्य वर्ग की महिला हेतु आरक्षित थी। अपीलार्थी द्वारा	

Web Copy, Not Official.

	लगातार 13.04.2023	अति पिछड़ा वर्ग के होने के कारण उनके द्वारा इस वर्ग के विरूद्ध क्रमशः आवेदन किया गया। जिला चयन समिति, किशनगंज के निर्णयानुसार प्रकाशित औपबंधित मेधा सूची में वादी का नाम क्रमांक 02 पर अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रखा गया। शैक्षणिक योग्यता के रूप में स्नातक दर्शाया गया, परन्तु Vinayaka Mission University/Vinayaka Mission Research Foundation सलेम, तमिलनाडु के संदर्भ में साक्ष्य की मांग की गयी। चयन समिति द्वारा आपत्ति किया गया कि स्नातक के अंक पत्र में Vinayaka Mission University/Vinayaka Mission Research Foundation सलेम लिखा हुआ है, जबकि प्रमाण पत्र में Vinayaka Mission Research Foundation (Deemed to be University) लिखा है। इस संदर्भ में इनका कहना है कि अध्ययन के समय उक्त संस्थान का नाम Vinayaka Mission University/Vinayaka Mission Research Foundation सलेम, तमिलनाडु था, जिसे कालान्तर में यू0जी0सी0 द्वारा जारी निर्देश के आलोक में दिनांक–01.12.2017 को Vinayaka Mission Research Foundation (Deemed to be University) कर दिया गया। इनका प्रमाण पत्र नाम परिवर्तन के बाद जारी किया गया है तथा मान्य संस्थानों की सूची में क्रम सं0–109 पर दर्ज है। उक्त विश्वविद्यालय संस्थान की मान्यता से संबंधित सारे सबूत जिला चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये, परन्तु सबूतों को नजर अंदाज करते हुए इनके स्नातक योग्यता को अमान्य करार दिया गया। इस प्रकार इन्टरमिडीयट की योग्यता के अनुसार इनका क्रम पांचवें स्थान पर जाने के कारण अनुज्ञपित पाने से वंचित हो गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–4511/2022 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर से मामले के निष्पादन हेतु निदेश दिया गया है, जिसके आलोक में अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर किया गया है। इनका आगे कथन है कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लिखा गया उक्त निर्णय पूरी तरह से प्रतिवादियों को लाभ पहुँचाने की मंशा से लिया गया है, जो अनुचित है। अपीलार्थी एक स्नातक योग्यताधारी योग्य एवं वैध उम्मीदवार है। इनका स्नातक का प्रमाण पत्र यू0जी0 सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत है। माननीय उच्च न्यायालय	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 13.04.2023	पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–4511/2022 पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से माना गया है कि Vinayaka Mission University/Vinayaka Mission Research Foundation सलेम, तमिलनाडु जहाँ से अपीलार्थी द्वारा स्नातक की डिग्री प्राप्त की गई है, एक पुरानी लब्ध प्रतिस्थान एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त संस्थान है। परन्तु जिला चयन समिति द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए इनके दावे को गलत बताया गया है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में इनके द्वारा जिला चयन समिति के अंतिम मेधा सूची को रद्द करते हुए इनके पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने की प्रार्थना की गई है। जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा समर्पित मंतव्य के अनुसार अपीलार्थी गुरूदेव कुमार सिंह, ग्राम पंचायत–मोतिहारा तालुका, प्रखंड एवं जिला–किशनगंज अंतर्गत अनुज्ञप्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन 01/2019–20 के विरूद्ध सभी शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन किया। आवेदक द्वारा Vinayaka Mission University/ Vinayaka Mission Research Foundation सलेम, तमिलनाडु से प्राप्त स्नातक की डिग्री का हवाला देते हुए स्नातक शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर अनुज्ञप्ति का दावा किया गया। आवेदक द्वारा समर्पित स्नातक शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र में संस्थान के नाम में भिन्नता पाये जाने के कारण इनके दावे को खारिज करते हुए इंटर के प्रमाण पत्र को मान्यता दी गई, जिसके आधार पर इनका अंक प्रतिशत 55.40 प्रतिशत आया। अन्य अभ्यर्थियों से निम्न रहने के कारण इनके दावे को खारिज कर दिया गया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा पत्रांक–1020, दिनांक–07.06.2022 के माध्यम से इनके स्नातक प्रमाण पत्र की वैधता की जाँच हेतु Vinayaka Mission University/Vinayaka Mission Research Foundation सलेम, तमिलनाडु से पत्राचार किया गया। उक्त के आलोक में डॉ0 टी0 शिवाकामी, सहायक परीक्षा नियंत्रक Vinayaka Mission University/Vinayaka Mission Research Foundation सलेम, तमिलनाडु द्वारा पत्रांक–VMRF/DDE/CV/5227, दिनांक–22.06.2022 द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र इनके संस्थान से निर्गत नहीं बताया गया। आवेदक द्वारा जिला चयन समिति के खिलाफ पूर्व में ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–4511/2022 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा क्रमशः	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 13.04.2023	दिनांक–28.09.2022 के मामले को निष्पादित करते हुए विद्वान प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर करने का निदेश दिया गया। उक्त वर्णित स्थिति के आलोक में आवेदक का स्नातक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया गया दावा वैध नहीं है तथा प्रस्तुत अपील वाद तथ्यों एवं कानून के आधार पर खारिज करने योगय बताया गया है। क्रमशः उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सु–संगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा पत्रांक–1020, दिनांक–07.06.2022 के माध्यम से अपीलार्थी के स्नातक प्रमाण पत्र की वैधता की जाँच हेतु Vinayaka Mission University/Vinayaka Mission Research Foundation सलेम, तमिलनाडु से पत्राचार करने पर इनका प्रमाण पत्र उस संस्थान से निर्गत नहीं बताया गया। अपीलार्थी द्वारा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया गया दावा वैध नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी के अपील वाद को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.